

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./98/2024

1. गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
 2. जगदीश पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
- प्रार्थी



बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-05.07.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री मोहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बान्दनवाड़ा पटवार क्षेत्र बान्दनवाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 211 में दर्ज खसरा नम्बर 3302 रकबा 0.36, खसरा नम्बर 3304 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 3318 रकबा 0.04, खाता संख्या 3376 रकबा 0.20 और खसरा नम्बर 3386 रकबा 0.63 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां के खाता संख्या 211 संवत् 2073--2076(वर्ष 2019 में रथाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बान्दनवाड़ा पटवार क्षेत्र बान्दनवाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 211 में दर्ज खसरा नम्बर 3302 रकबा 0.36, खसरा नम्बर 3304 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 3318 रकबा 0.04, खाता संख्या 3376 रकबा 0.20 और खसरा नम्बर 3386 रकबा 0.63 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 हेतु नायब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

मान्दनवासा को 500/- रु(पांच सौ रु) की गौका कमीशनर फीरा पर गौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पडौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। वाद तामील तकमील होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)